चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.1(21)चिशि/ग्रुप-1/2000 जयपुर दिनांक 10 SEP 2001

सचिव (एच),
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
स्वास्थ्य विभाग
निर्माण भवन,
नई दिल्ली

सचिव,
भारतीय दन्त परिषद्,
नई दिल्ली

विषयः पैसीफिक दन्त कॉलेज, उदयपुर की प्रवेश क्षमता 50 से 100 करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदनानुसार इस विभाग के क्रमांक प.1(21)चिशि/ग्रुप-1/98 पार्ट II दिनांक 12.10.98 के द्वारा पैसीफिक एजूकेशन सोसायटी, उदयपुर को उदयपुर में 50 प्रवेश क्षमता का पैसीफिक दन्त कॉलेज स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। अतः उक्त पैसीफिक डेन्टल कॉलेज, उदयपुर की पूर्व प्रवेश क्षमता 50 से 100 करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि भारत सरकार और भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली शिक्षा सत्र 2001-2002 के लिये छात्र प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करेंगे। शेष सभी शर्तें उक्त क्रमांक प.1(21)चिशि/ग्रुप-1/98 पार्ट II दिनांक 12.10.98 में वर्णित अनुसार यथावत रहेंगी।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
2. डीन, मेडीकल कॉलेज, उदयपुर
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर
4. प्रधानाचार्य, पैसीफिक डेन्टल कॉलेज, उदयपुर, भुवाना बायपास रोड उदयपुर
5. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव